

प्रेषक

पी० एन० मिश्रा,

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में

अध्यक्ष,

के न्दीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,

शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,

नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक ११।६।१५

विषय:-

संत मैरी स्कूल, बेल्दारीचक कंसारी, पटना को CBSE बोर्ड, नई दिल्ली से संबंद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि संत मैरी स्कूल, बेल्दारीचक कंसारी, पटना को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपेलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समझ लिये गये शपथ-पत्र के साथ सलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कांगजातों एवं जांच सनिति के प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग की संक्षेप सनिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई:-

1. यह विद्यालय सेक्रेड हार्ट कॉन्वेन्ट सोसाइटी के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रनुत्तर नहीं है। सोसाइटी के ग्रात्येक सदस्य का व्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
  2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
  3. विद्यालय को 3 बीघा 12 करुंठा भूमि दान-पत्र पर उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं।
  4. विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति है। विद्यालय में कुल 19 शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।
  5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
  6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों वार्षिक लेखा अंकेशण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
  7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक-04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त स्वीकार है। अपेक्षित शर्तों के अनुसार-
- (i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25% प्रतिशत निःशुल्क नागरिक पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत रुपया 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय ने नर्सरी/केंद्रीय अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन व आवेदन निर्वाचित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/केंद्रीय तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय आवास को दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रदंशन द्वारा सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में पत्र के नाम्यम से दावा किया गया है, फिर भी सी० बी० ई० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्वाचित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही सी० बी० ई० एस० ई०, को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय व अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। इस यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र यापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करारवाई की जायेगी।

10. विनागीय पत्रांक-46, दिनांक- 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड ना जाने संबंधी आदेशों का दिल्लालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिक द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्तों के आलोक में विभागीय सनिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार स्कूल, देल्वरीचक कंसारी, पटना को सी० बी० ई० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अपनाग-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सी० बी० ई० एस० ई० अपने स्तर से संतुष्ट पर ही दिल्लालय की संवधान देने पर विद्यारथ करेगी।

विश्वासमाजन  
कानून के लिए विद्यारथों के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए विश्वासमाजन के लिए विश्वासमाजन

जापांक :-10/न-39/2016 65/ प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित  
(पी० एन० सिंह)

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना, दिनांक ११(६१)।-  
जापांक :-10/न-39/2016 65/ प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना, दिनांक ११(६१)।-

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, संत मैरी स्कूल, देल्वरीचक कंसारी, पटना को सूचनार्थ एवं आकार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, संत मैरी स्कूल, देल्वरीचक कंसारी, पटना को सूचनार्थ एवं आकार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, संत मैरी स्कूल, देल्वरीचक कंसारी, पटना को सूचनार्थ एवं आकार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, संत मैरी स्कूल, देल्वरीचक कंसारी, पटना को सूचनार्थ एवं आकार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, संत मैरी स्कूल, देल्वरीचक कंसारी, पटना को सूचनार्थ एवं आकार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, संत मैरी स्कूल, देल्वरीचक कंसारी, पटना को सूचनार्थ एवं आकार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, संत मैरी स्कूल, देल्वरीचक कंसारी, पटना को सूचनार्थ एवं आकार्यार्थ प्रेषित।